प्रिय श्री/ श्रीमती/ कुमारी ....

अत्यन्त हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि आवासन मंडल की प्रतिष्ठित योजना ए. आई.एस. रेजीडेन्सी में दिनांक 29.06.2021 को आयोजित लॉटरी द्वारा आपको एक फ्लैट का आवंटन किया गया, तत्पश्चात दिनांक 30.06.2021 को आवंटित फ्लैट का आरक्षण पत्र (Reservation Letter) जारी किया गया है।

आरक्षण पत्र के प्रथम पृष्ठ पर सारणी के क्रम संख्या 3 पर अंकित प्रथम किश्त (First Installment) की राशि दिनांक 29.07.2021 तक जमा करवाकर रसीद/ स्क्रीनशॉट/ ट्रांजेक्शन आईडी सहित निम्न मूल/ स्व-हस्ताक्षरित/ सत्यापित दस्तावेज वृत्त-प्रथम कार्यालय (पताः कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, सैक्टर-05, प्रताप प्लाजा के पास, टोंक रोड़, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर - 302033 राजस्थान) में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिशः प्रस्तुत किये जाने हैः

- ✓ के.वाई.सी. फार्म की पूर्ति कर मय फोटो स्व-हस्ताक्षरित। (एकाधिक नाम होने की स्थिति में पृथक-पृथक प्रस्तुत किया जाना है)
- ✓ पैन कार्ड व आधार कार्ड की स्व-हस्ताक्षरित प्रति। (एकाधिक नाम होने की स्थिति में पृथक-पृथक प्रस्तुत किया जाना है)
- ✓ आवेदन सबमिशन पर ऑनलाइन अपलोड किए गए शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं अन्य दस्तावेजों की स्व-हस्ताक्षरित/ सत्यापित प्रति।

राशि जमा कराने की विधियांः

(कृपया अपने बैंक से विभिन्न प्रकार से किये जाने वाले भुगतान विकल्प में उपलब्ध लिमिट/ बाध्यताओं के सम्बन्ध में भलिभांति जान लेंवे)

1 **चैक/ डिमांड ड्राफ्टः** कम्प्यूटर जनित चालान डाउनलोड व प्रिंट कर वांछित प्रविष्टियों यथा जमा कराने की तिथि, नाम, आवंटित फ्लैट संख्या, रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर, ई-मेल आई.डी., संलग्न किये गये चैक/ डी.डी. का राशि सहित विवरण, की पूर्ति करते हुये एक से ज्यादा चैक/ डी.डी. के द्वारा भी राशि जमा कराई जा सकती है। उक्त चालान आईसीआईसीआई बैंक की किसी भी शाखा में जमा करवाया जा सकता है।

2 **आरटीजीएसः** ऑनलाइन पेमेंट टैब पर क्लिक कर आपका आवेदन चालान संख्या व रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर की पूर्ति कर आरटीजीएस/ एनईएफटी टैब पर क्लिक कर कम्प्यूटर जनित चालान को दो प्रतियों में बैंक में प्रस्तुत कर जमा करवाया जा सकता है।

3 **नेट बैंकिंगः** ऑनलाइन पेमेंट टैब पर क्लिक कर आपका आवेदन चालान संख्या व रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर की पूर्ति कर नेट बैंकिंग टैब पर क्लिक कर कम्प्यूटर जनित चालान के पश्चात पूरी मांग राशि एक बार में ही जमा कराई जा सकेगी।

4 **वृत्त कार्यालय स्थित कैश कलेक्शन काउंटरः** व्यक्तिशः चैक/ डीडी (एक से अधिक मान्य) के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर भी जमा कराये जा सकते हैं।

नोटः भुगतान में आ रही समस्या के निराकरण हेतु श्री अनुज माथुर संयुक्त निदेशक (मो0-9672988036) से सम्पर्क किया जा सकता है।